

अपील सूचना अधिकार संख्या 80/2018 (RCMS 2018/00200) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बंनम प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन शाखा, श्रीगंगानगर

24.06.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए। बहस सुनी गई थी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि उसने प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन शाखा, श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22.10.2018 को प्रस्तुत करके 09 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध 25000/- रुपये शास्ति अधिरोपित की जाकर हर्जाना प्रार्थी को दिलवाया जावे एवं उसे वांछित सूचनाएं भी उपलब्ध करवाई जावे।

मैंने उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.10.2018 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन शाखा श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पत्रांक 3471 दिनांक 09.03.18, जो तहसीलदार (निर्वाचन), श्रीगंगानगर को सम्बोधित है, के कार्यालय में पहुंचने की तारीख व पत्र प्राप्ति पंजिका का क्रमांक व दिनांक की सूचना।
2. बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल द्वारा निांक 05.04.2014 से 07.04.2014 तक मुख्यालय जिस अधिकारी से अनुमति लेकर गया, उस अधिकारी का नमा व पद की सूचना।
3. आचार संहिता प्रारम्भ होने के पश्चात डेप्यूटेशन पर कार्यरत कर्मकार चुनाव ड्यूटी के दौरान जिस अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय छोड़कर जायेगा, उसके अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर

4. आचार संहिता लोकसभा चुनाव 2014 में दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 07.04.2014 तक मुख्यालय छोड़ने का प्रार्थना पत्र बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल द्वारा जिस निर्वाचन अधिकारी को दिया, उसकी सूचना व प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति।
5. जिस निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिस जगह मुख्यालय छोड़ने हेतु आवेदन मंजूर दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 07.04.2014 तक का किया, उस अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
6. बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल 05.04.2014 से दिनांक 07.04.2014 तक श्रीगंगानगर में चुनाव ड्यूटी पर कार्यरत होने की अवस्था में दिनांक 05.04.2014 से 07.04.2014 की अवधि का मुख्यालय छोड़ने की अनुमति जिस आचार संहिता के नियम के अन्तर्गत दी गई, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
7. आचार संहिता का उल्लंघन बी.एल.ओ. द्वारा किया जाने पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय की दिनांक 21.09.2000 की पालना में बी.एल.ओ. को Suspend करने के सम्बन्ध में सूचना।
8. बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल लोकसभा चुनाव 2014 से जिस निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्यरत रहे थे, उस अधिकारी का पद व नाम की सूचना।
9. वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव 2014 में पदस्थापित रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी का नाम व पद की सूचना।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ37(3)(RTI)निर्वा/2018 /27089 दिनांक 17.12.2018 से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपने पत्रांक 19663 दिनांक 14.11.2018 से श्री राधेश्याम गोयल को निम्नानुसार जवाब दिया है:

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके प्रासंगिक आवेदन पत्र द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में बिन्दु संख्या 1 से 9 का प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :

राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोइ भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस-विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। लोकसूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदन को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो। अतः चाही गई सूचना के संबंध में आप कार्यालय में उपलब्ध, अभिलेखों का निरीक्षण कर वांछित सूचना के संबंध में उपलब्ध अभिलेखों को चिन्हित कर दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते हैं।

यदि आप इस सूचना से असंतुष्ट हैं तो प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते हैं।

-sd-

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर


जिला कलक्टर  
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं प्रश्नात्मक रूप में प्रतीत होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात् विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते हैं और न ही वे स्वयं का मत दे सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में उसे अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का नियमानुसार निरीक्षण करवा दिया जावे और यदि वह उपलब्ध अभिलेख में से किसी भी निश्चित

दस्तावेज की प्रमाणित प्रति लेना चाहे तो वह उसे नियमानुसार आदेश प्राप्ति के 7 दिवस में उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(शिवप्रसाद एम. नकाते)  
जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर